

कार्यालय-मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अलवर

क्रमांक- 893

दिनांक-18.03.2026

आदेश

माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, अलवर के आदेश क्रमांक स्था./2026/8185 दिनांक 18.03.2026 की अनुपालना में अखैपुरा पुलिस चौकी को कमोन्नत कर पुलिस थाना अखैपुरा राजस्व जिला अलवर में आने वाले गांवों संख्या 1 से 75 तक के प्रकरणों के क्षेत्राधिकार भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 12 (1) व 13 (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर मुताबिक संलग्न सूची गांव में उद्भूत होने वाले एन आई एक्ट से सम्बन्धित प्रकरणों के निस्तारण के संबंध में नियमानुसार कमोन्नत पुलिस थाना अखैपुरा के लिए न्यायालय विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट (एन आई एक्ट कैसेज) संख्या-2, अलवर का क्षेत्राधिकार आवंटन किया जाता है।

आदेश तुरन्त प्रभाव से प्रभावी रहेंगे।

सुबिता 25/3/26
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
अलवर (राज.)

क्रमांक:- 894-900

दिनांक:- 18/3/26

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित है-

1. माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, अलवर
2. श्रीमान जिला कलक्टर, अलवर
3. श्रीमान् जिला पुलिस अधीक्षक, अलवर/संबंधित थाना.....
4. कार्यालय प्रति/संबंधित न्यायालय/अध्यक्ष, बार एसोसियेशन.....
5. कम्प्यूटर शाखा, अलवर (उक्त आदेश को साईट पर अपलोड कर समस्त न्यायालय, अलवर न्यायक्षेत्र को ई-मेल करें)

सुबिता 25/3/26
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
अलवर (राज.)